स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 211, दिनांकः 27–08–2020

हत्या के अभियोगों में वांछित चल रहे रू0 50–50 हजार के 03 इनामी अपराधियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 26–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली देहात व थाना ककोड, जनपद बुलन्दशहर के अलावा हरियाणा के थाना पलवल की हत्या के अभियोगों में वांछित चल रहे रू0 50–50 के इनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1–अमित जाट पुत्र राजेन्द्र निवासी धनौरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
2–जय कुमार उर्फ जैका पुत्र इन्द्रपाल निवासी धनौरा थना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
3–सोनू उर्फ प्रमोद पुत्र होशियार सिंह नि0 जमालपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों से बरामदगी–

1–01 मोबाईल सैमसंग जे–4
2–03 फर्जी नाम पते के आधार कार्ड।
3–01 जिओ कम्पनी का डोंगल

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 26–08–2020 समयः 18.20 बजे, दिल्ली–करनाल बाईपास रोड थाना क्षेत्र समयपुर बादली, दिल्ली

पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ, संगठित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, मेरठ द्वारा एसटीएफ टीम नोएडा को अभिसूचना संकलन हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम जाडौल के ग्राम प्रधान संजय की हत्या के केस में वांछित चल रहे रू0 50–50 के इनामी अपराधी अमित जाट, जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद उपरोक्त दिल्ली–करनाल बाईपास रोड, दिल्ली से कहीं जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 श्री अक्षय त्यागी के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करने हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहॅुचकर आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित जाट उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है तथा 12वीं तक पढा है। वर्ष 2005 में जब वह नाबालिग था तब उसके गांव धनौरा में आपसी रंजिश में गांव के नीरज की हत्या हुई थी जिसमें 09 लोग नामजद हुए

थे जिनमें उसका व उसके पिता राजेन्द्र का नाम भी था। इस केस में अमित जाट 02 साल की सजा काटकर बाहर आया था और बाद में उसके पिता राजेन्द्र को आजीवन कारावास हो गया था जो अभी भी जेल में हैं। अमित जाट ने बताया कि बाद में उसकी माता व मामा की हत्या हो गयी थी जिसमें संजय प्रधान, बिल्लू जडौली, आकाश, सतेन्द्र जडौली शामिल थे इस रंजिश के चलते संजय प्रधान निवासी जाडौल, बुलन्दशहर की हत्या करके बदला लिया गया था। इस हत्या काण्ड में अमित जाट के साथ जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद, अंकित उर्फ विकास एवं रवि प्रधान निवासी मऊ थाना खैर अलीगढ सम्मिलित थे। मुखबिरी कपिल टोपी द्वारा की गई थी। इस हत्या के लिए कारतूस बुलन्दशहर के एक सुशील गन हाउस अनुपशहर से लिए गये थे। हत्या की इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0ः 501/20 धारा 147,148,149,302,120बी,34 भादवि पंजीकृत है जिसमें अमित जाट, जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद फरार चल रहे थे और तीनों पर रू0 50–50 हजार को इनाम पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ के द्वारा दिनांक 11–07–2020 को घोषित हो रखा था।

इसके अतिरिक्त गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने संयुक्त रूप से बताया कि विपक्षी बिल्लू जडौली और अन्य विपक्षीगण की हत्या करने हेतु दिल्ली के बुराडी क्षेत्र में वह तीनों छिपकर रह रहे थे। बताया कि जय कुमार उर्फ जैका की मृतको से कोई रंजिश नहीं थी वह केवल दोस्ती के कारण साथ में रहता था। घटना में इस्तेमाल स्कार्पियो गाड़ी अंकित उर्फ छोटू निवासी गुडगांव, हरियाणा लेकर आया था जिसपर एक फर्जी नम्बर लगा हुआ था। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने यह भी बताया कि वह तीनों बुलन्दशहर जेल में मिले थे और तभी से तीनों में दोस्ती है। इसके अतिरिक्त सोनू उर्फ प्रमोद की भी उसके गांव में रंजिश चल रही है जिसमें उसके पिता की हत्या पुलिस अभिरक्षा में हो गयी थी। अमित जाट व सोनू उर्फ प्रमोद एक दूसरे के विपक्षीगण को मारने में एक–दूसरे की मदद करे रहे थे।

अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर की गई हत्या की अन्य प्रमुख घटनाओं का विवरण निम्नवत् हैः–

दिनांक 17–05–2005 को अमित जाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गॉव के काली चरण की पत्नी सिंघारी देवी तथा नीरज पुत्र आनन्द जोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 21/05 धारा 147/148/149/452/302 भादवि पंजीकृत हुआ था जिसमें वह जेल गया था और घटना के समय नाबालिग होने के कारण दो साल की सजा काटकर बाहर आया था ।

दिनांक 10–01–2009 को अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गॉव धनौरा के ही सुनील पुत्र भूरे लाल जाटव की अपहरण करके हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 22/09 धारा 364/302/120बी भादवि एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पजींकृत हुआ था, जिसमें भी वह जेल गया था।

दिनांक 17–03–2014 को अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गॉव में ही रविन्द्र पुत्र बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड बुलन्दशहर पर अ0सं0 57/14 धारा 302/120बी/34 भादवि दर्ज हैं, इस अभियोग में भी वह जेल गया था ।

दिनांक 20–05–2020 को अमित जाट द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही गॉव के काली चरण की गोली मारकर हत्या कर दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 104/20 धारा 302 भादवि दर्ज है। इस अभियोग में भी अमित जाट, अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद उपरोक्त तीनों अभियुक्त वॉछित चल रहें थे।

अभियुक्त अमित जाट का निम्न अपराधिक इतिहास होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	21/05	147/148/149/452/302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
2.	25/05	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
3.	193/07	3(1)यूपी गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
4	198/07	3(1) यूपी गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
5	219/07	307 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
6	280/07	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
7	281/07	3(1) गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
8	86/08	110 जी दप्रस	ककोड	बुलन्दशहर
9	22/09	364/302/120बी भादवि व एससी/एसटी एक्ट	को0 देहात	बुलन्दशहर
10	155/11	307 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
11	22/12	110 जी दप्रसं	ककोड	बुलन्दशहर
12	206/12	3 यूपी गुण्डा एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
13	68/12	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
14	57/14	302/120बी/34 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
15	173/14	307 /504 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
16	213/14	25 आर्म्स एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
17	103/15	2/3 गैगेस्टर एक्ट	ककोड	बुलन्दशहर
18	17/18	147/148/149/307 भादवि	खानपुर	बुलन्दशहर
19	378/18	25 आर्म्स एक्ट	नूहु	हरियाणा
20	582/19	171/302/25/54/59/148/149 भादवि एवं आर्म्स एक्ट	कैम्प पलवल	हरियाणा
21	104/20	302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
22	501/20	147/148/149/302/120बी/34 भादवि	को0देहात	बुलन्दश्हार

अभियुक्त सोनू उर्फ प्रमोद का निम्न अपराधिक इतिहास होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	104/20	302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
2.	501/20	147/148/149/302/120बी/34 भादवि	को0 देहात	बुलन्दश्हार

अभियुक्त जय कुमार उर्फ जैका का निम्न अपराधिक इतिहास होना ज्ञात हुआ है।

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	104/20	302 भादवि	ककोड	बुलन्दशहर
2.	501/20	147/148/149/302/120बी/34 भादवि	को0 देहात	बुलन्दश्हार

गिरफ्तार अभियुक्त अमित जाट, जय कुमार उर्फ जैका व सोनू उर्फ प्रमोद उपरोक्त को थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर के मु0अ0सं0:501/20 धारा 147/148/149/302/120बी/34 भादवि में दाखिल किया गया है और अग्रिम विधि कार्यवाही थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर पुलिस द्वारा की जा रही है।